

प्रेषक,

कमिशनर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक : जून, 29 ,2009

महोदय,

कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-विधि-1(1)शीर्ष विधि समिति-(09-10)-237/वाणिज्य कर, दिनांक 17-6-09 द्वारा वैट अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (17) के अन्तर्गत दि० 1-1-08 से 31-3-08 की अवधि में किसी व्यवहारी द्वारा लेखा पुस्तकों का आडिट कराये जाने अथवा न कराये जाने की आवश्यकता के बिन्दु पर शासन को संदर्भित किया गया था । इस सम्बन्ध में शासन ने पत्र संख्या- क०नि०-1433/11-2-2009-9(10)/08-टी०सी०-बी, दि० 29-6-09 द्वारा सूचित किया है कि विधिक प्राविधानों को देखते हुए वर्ष 07-08 की अवधि दिनांक 1-1-08 से 31-3-08 तक के लिए लेखा पुस्तकों का आडिट कराया जाना आवश्यक नहीं है ।

कृपया उपरोक्तानुसार अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों, अधिवक्ता संघा एवं व्यापारिक संघों को सूचित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

ह०/-29-6-09

(यू०सी० दीक्षित)

एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 (विधि) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।

पृ०प०सं० व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1433/11-2-2009-9(10)/08-टी०सी०-बी, दिनांक 29-6-09 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- समस्त एडीशनल कमिशनर/ज्वाइन्ट कमिशनर वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- 3- ज्वाइन्ट कमिशनर (कम्प्यूटर) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे शीघ्र ही इन्टरनेट पर डलवाने का कष्ट करें ।

ह०/-29-6-09

(यू०सी० दीक्षित)

एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1 (विधि) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।